तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलांट । रेस्पोडेंटस बार बार आवाल लगाने के बावजूद उपस्थित नहीं, उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही **आदेश** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–1–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांरा के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट को खसरा नंबर 166 रकबा का 5–5 बीघा भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 16–3–88 को किया गया। जबकि उक्त विवादित आराजी पर उसका कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा बताकर गलत आवंटन करवाया है। अतः उसका आवंटन दिनांक 16–3–88 निरस्त किया जावे। सहायक जिला कलेक्टर बारां ने अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 12–7–2000 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–1–01 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट का पुराना कब्जा था। अपीलांट भूमिहीन कृषक है तथा उसके पास उक्त आराजी के अलावा कोई अन्य भूमि नहीं है। किंतु रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा बताते हुये गलत तरीके से आवंटन करवा ली। रेसपोडेंट का विवादित आराजी पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट का कब्जाकाश्त खसरा नंबर 167 की 5–5 बीघा पर बताया गया है तथा खसरा नंबर 167 का रकबा 93 बीघा 15 बिस्वा का है जो गैर मुमकिन जंगलात बताई गई है। विवादित खसरा नंबर 166 का रकबा 20 बीघा पर पुराने से कब्जाकाश्त बताया गया है। परीक्षण न्यायालय ने मूल आवंटन पत्रावली तलब किये अपीलांट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांट की अपील स्पष्ट एवं ठोस कारण अंकित किये बिना नोन स्पीकिंग आदेश से खारिज कर दी तथा रेस्पोडेंट का आवंटन बहाल रखा। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्यन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बारां ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये आवंटियों को खसरा नंबर 166 की 5–5 बीघा भूमि पर आवंटन के अनुसार काबिज कराने का आदेश पारित किया है। जिसकी अपील अपीलींट ने न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 13–5–2000 व तहसीलदार के पत्र संख्या 1731 दिनांक 16–5–2000 से जाहिर होना माना कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	रेस्पोडेंट को दिनांक 16–3–88 को विवादित आराजी का आवंटन हुआ था तथा अपीलांट रेस्पोडेंट क्रम संख्या 1 से 3 को आवंटनशुदा आराजी पर जबरने कब्जा किया हुआ है। अपीलांट यह सिद्ध करने में में विफल रहे है कि फर्जी, छलपूर्वक व गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन कराया गया हो। अतः यह सिद्ध नहीं होता की रेस्पोडेंट के पक्ष में अनियमित आवंटन हुआ हो। उप जिला कलेक्टर का आदेश नोन स्पीकिंग आदेश नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अनुसार :– *"(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub Divisional Officer or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules, either suo-moto or on an application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment. Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard."* उक्त नियम में आवेदक ने आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो। उपरोक्त उल्लेखित, विवेचित तथ्यों से प्रकट नहीं होता। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर वर्षो से कब्जाकाश्त होना बताया गया है। आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत अतिक्रमी द्वारा सिवाचयक भूमि पर अतिक्रमण की दशा में नियमन का प्रावधान है। आवंटन से पूर्व नियमों के तहत आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि के लिये उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान है। यदि अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर आवंटन की तिथि से पूर्व काबिज था तो उसे नियमन हेतु प्रावधानोनुसार आवेदन आवंटन कमेटी के समक्ष करना चाहिये था।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधानों के तहत मिसरिप्रजेंटेशन या frod के द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराने या नियमों के विरूद्ध आवंटन कराने पर या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना करने पर ही आवंटन खारिज करने का प्रावधान है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नियम 14(4) की उक्त शर्तो की अवहेलना नहीं पाई है। अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध माना जा सके। हमारी सुविचारित राय में अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। अतः अपील खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 2509 / 2001 / जिला बांरा
सीताराम बनाम अमरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए